राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ. 7(2)डीओपी/ए-II/84 पार्ट   जयपुर, दिनांकः 23-09-2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (ख) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम तथा विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) (अष्टम संशोधन) नियम तथा विनियम, 2022 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 14 का संशोधन.- नियम के विद्यमान अंतिम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"जो व्यक्ति 31.12.2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31.12.2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जायेगा।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

23/9/22

(राम निवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव

54 (ii)